

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- प.5(3)/नविवि/3/99पार्ट

जयपुर, दिनांक: 18 JUL 2019

आदेश

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 74, राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि के निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7ए, एवं राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत प्राधिकरणों/नगर सुधार न्यासों एवं आवासन मण्डल की बकाया लीज राशि के ब्याज में छूट देने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 2019-20 की घोषणा संख्या 221 से आमजन को राहत देने के उद्देश्य से नगरीय निकायों/नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल/जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर विकास प्राधिकरण की बकाया लीज राशि दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक एक मुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज राशि में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 74 एवं राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि के निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7 ए, राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत नगरीय निकायों/नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल/जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर विकास प्राधिकरण की बकाया लीज राशि दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक एकमुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज राशि में शत-प्रतिशत छूट एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त(राजस्व) विभाग की आई.डी. संख्या-251900631 दिनांक 15.07.19 पर प्रदत्त सहमति से जारी की जाती है।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रभावी होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।

4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
8. निजी सचिव, वित्त सचिव (राजस्व) विभाग।
9. संयुक्त शासन सचिव –प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
10. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
11. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. समस्त सचिव, नगर विकास न्यास।
13. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. उप विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
16. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार।
17. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-तृतीय